न्यायालयः- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 140 / 18

हरेंद्र सिंह पुत्र कम्मोद सिंह गुर्जर आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम गिरगांव, हाल निवासी वार्ड नंबर 5 जेल रोड़ गोहद थाना व परगना गोहद जिला भिण्ड. म.प्र.

---आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

———अनावेदक

24-04-2018

आवेदक / अभियुक्त हरेंद्र सिंह की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध कमांक 83/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 353, 332, 186 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक / अभियुक्त हरेंद्र सिंह की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र धारा 437 दं०प्र०सं० का खारिज हो जाने के उपरांत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया है कि उपरोक्तानुसार प्रथम नियमित जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक के जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त हरेंद्र सिंह की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक का उक्त कथित अपराध से किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष हैं तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। आवेदक प्रश्नगत घटना के समय मौके पर उपस्थित ही नहीं था। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। आवेदक के फरार होने व साक्ष्य को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक सभी शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर हैं। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये न्यायालय

के समक्ष प्रस्तुत कैफियत सहित संपूर्ण केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार आवेदक / अभियुक्त द्वारा अन्य 700—800 सहअभियुक्तगण के साथ लाठी, डण्डा व सरिया से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुये बलवा कारित किया गया है एवं पुलिस पार्टी पर पथराव कर शासकीय वाहनों में तोड़फोड़ कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई है तथा शासकीय कार्यों में बाधा डाली गई है तथा लोक सेवक नरेंद्र सिंह एवं आशीष शर्मा को भी चोटें पहुंचाई गई हैं।

उक्त घटना के संबंध में धारा 147, 148, 149, 336, 186, 353, 332 भा०दं०वि० के अंतर्गत थाना गोहद में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामला विवेचना के प्रक्रम पर है। मामले में अधिकांश अभियुक्तगण की गिरफतारी सुनिश्चित नहीं हुई है तथा आवेदक / अभियुक्त सहित 700–800 सहअभियुक्तगण के उक्त कृत्य के परिणामस्वरूप बल एवं हिंसा के प्रदर्शन के कारण समाज में भय एवं अस्रक्षा का वातावरण निर्मित होकर सामाजिक सौहार्द बिगडना एवं लोकशांति भंग होना तथा अभियुक्तगण द्वारा लोक कर्तव्य का निर्वहन करते समय शासकीय सेवकों को उपहतियां कारित होना एवं शासकीय संपत्तियों को नष्ट किया जाना तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना बताया गया है, जो कि समाज में दहशतपूर्ण होकर अति गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। साथ ही जमानत के इस स्टेज पर सूची मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष अवधारित नहीं किया जा सकता है कि आवेदक / अभियुक्त घटना में सम्मिलित नहीं था और वैसे भी सुस्थापिक विधिक स्थिति के अनुसार जमानत के इस प्रक्रम पर मामले के गुण-दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक हरेंद्र सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को विधिवत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद